18 36 A

Bandh Baretha

राजस्थान सरकार
राजस्व पर्यावरण विभाग

क्रमांक एफ 1(1)(पर्यावरण/85   दिनांक 5 अक्टूबर 1985

अधिसूचना

यत: राज्य सरकार को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न उपबन्ध में परिनिश्चित क्षेत्र का उसमें पाये जाने वाले वन जीवों के संरक्षण प्रचारण एवं उनके विकास पर्यावरण के प्रयोजनार्थ उसके परिस्थिति प्राणी जातीय वनस्पति भू-संरक्षण तथा प्राणी विज्ञान संबंधी सहयोजना और महत्व के कारण वन जीव अभ्यारण के रूप में गठित करने की आवश्यकता है।

अत: वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (1972 का केन्द्रीय अधिनियम संख्या 53) की धारा 18(1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में राज्य सरकार निम्न अनुसूचि में वर्णित सीमाओं के अन्तर्गत आने वाली भूमि को अभ्यारण घोषित करने के अपने आशय की घोषणा करती है, जिसे भविष्य में "बांध बारेठा" के नाम से जाना जावेगा, अर्थात,

अनुसूचि

क्र. सं.	क्षेत्र	नाम तहसील	जिला	सीमाऐं	वि० वि०
1.	वन्य जीव अभ्यारण बांध बारेठा	बयाना	भरतपुर	उत्तर	वन खण्ड नहरोली खेरी डांग, सूखासीला एवम् ब्राह्मी पहाड़पुर वनखण्ड सीमाऐं।
				पूर्व	वनखण्ड सूखासीला, ...ी पहाड़ दरवराहना कोट एवं ...न की वनखण्ड सीमा।
				दक्षिण	वनखण्ड ...जना की वनखण्ड सीमा।
				पश्चिम	वनखण्ड नहरोली, शाहपुर, दरवरा...ना एवं वाजना की वनखण्ड सीमाये।

नोट:-
उक्त क्षेत्र में पूरा नाका बारेठा शामिल किया गया है इन सीमाओं के बीच पड़ने वाला राजस्व क्षेत्र अभ्यारण में शामिल ...

राज्यपाल की आज्ञा से,

(एस० के० वर्मा)
उप शासन सचिव
पर्यावरण विभाग

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री राजस्थान, जयपुर को असाधारण राजपत्र में प्रकाशनार्थ।
2. मुख्य वन संरक्षक, राज. जयपुर।
3. मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक, राज. जयपुर।
4. निदेशक, पुलिस विभाग राजस्थान जयपुर अधीक्षक पुलिस विभाग भरतपुर
5. जिलाधीश भरतपुर को प्रेषित कर निवेदन है कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 19 से 26 के अनुसार कार्यवाही कर इस विभाग को अविलम्ब अवगत करावे।

प्रतिलिपि निम्न को भी सूचनार्थ प्रेषित है :-

1. समस्त सचिव आयुक्त राज. जयपुर।
2. सचिव राज्यपाल राजस्थान, जयपुर
3. सचिव मुख्य मंत्री राजस्थान, जयपुर
4. समस्त निजि सचिव मंत्रीगण/राज्य मंत्रीगण।
5. निजि सचिव मुख्य सचिव राजस्थान, जयपुर।
6. सचिव राजस्थान विधानसभा जयपुर।
7. रजिस्ट्रार राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर/जोधपुर।
8. समस्त सदस्य राजस्थान वन्य जीव प्रतिपालक राज. जयपुर।
10. सचिव भारत सरकार पर्यावरण विभाग वन्य जीव सम्भाग कृषि भवन नई दिल्ली।

उप शासन सचिव